e-1498 निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

/ नि0म0क0 / प्रो0वे0 / ऑफ्टरकेयर / 2023-24

समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विषय:--'मिशन वात्सल्य' योजना के अंतर्गत गैर संस्थागत देखगाल के प्रमुख घटक आफ्टरकेयर (पश्चातवर्ती देखरेख) के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक संख्या सी-1561/ नि0म0क0/प्रो०वे०/ मि0वा0 / 2023–24, दिनांक 10 अक्टूबर 2023, का संर्दभ ग्रहण करें जिसके माध्यम से भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन गाइडलाइन में दिये गये विभिन्न घटकों के संबंध में विस्तृत प्राविधान समस्त जिलाधिकारी को सम्बोधित और आपको पृष्टांकित करते हुये प्रेषित किये गये हैं। उपरोक्त पत्रांक के संलग्नक 5 के अंतर्गत गैर संस्थागत देखभाल के प्रमुख घटक आफ्टरकेयर के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के क्रम में विभिन्न हितगामियों तथा जनपदों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर ऑपटरकेयर उप-योजना में आवेदन हेतु प्रारूप निर्गत किये जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त के संबंध में ऑफ्टरकेयर उप—योजना की पूर्व में निर्गत गाइडलाइन पुनः संलग्नक 1 के रूप में प्रेषित है। साथ ही ऑफ्टरकेयर उप–योजना में आवेदन हेतु नवीन विस्तारित प्रारूप संलग्नक 2 में आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराना

सुनिश्चित करें।

निदेशक ।

पृष्ठांकन एवं संलग्नक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1. किशोर न्याय समिति, मा० उच्च न्यायालय, इलाहावाद, खण्डपीठ लखनऊ।
- प्रमुख सचिव, महिला एवं वाल विकास, उ०प्र० शासन, उ०प्र०।
- सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ०प्र०।
- 4. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्रo।
- 5. संगरत माo जनपद न्यायाधीश, उ०प्रo।
- संमस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- समस्त पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० ।
- सदस्य सचिव, राज्य वाल अधिकार संरक्षण आयोग, उ०प्र०।
- समस्त मंडलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण, उ०प्र०।
- 10. समस्त किशोर न्याय वोर्ड, द्वारा जिला प्रोवेशन अधिकारी, उ०प्र०।
- 11. समस्त बाल कल्याण समिति, द्वारा जिला प्रोवेशन अधिकारी, उ०प्र०।
- 12. समस्त संस्थाध्यक्ष, द्वारा जिला प्रोवेशन अधिकारी, उ०प्र०।
- 13. बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश।
- 14. गार्ड फाइल

(पुनीत कुमार मिश्रा) निदेशक।

संलग्नक 1:

उत्तर प्रदेश में पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम (ऑफ्टरकेयर)

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधित 2021), धारा 2(5), धारा 46 और नियमावली के नियम 25 के प्रावधान संस्थागत देखभाल में रहने वाले बच्चों को पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) की सुविधा प्रदान करते हैं, उक्त धारायें व नियम यह अनिवार्य बनाते हैं कि ''किसी बच्चे के 18 वर्ष पूरा करने और ऐसी स्थिति में बाल देखरेख संस्था छोड़ने पर उसे निर्धारित तरीके से समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है''।

पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) उन सभी युवाओं / किशोर—किशोरियों हेतु है, जो अपने बचपन के दौरान किसी भी प्रकार की वैकल्पिक देखभाल में पले—बढ़े हैं, जैसे कि बालगृह, संप्रेक्षण गृह या उपयुक्त सुविधाएं, आदि और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें वह गृह छोड़ना पड़ रहा हो। देखरेख संस्था छोड़, स्वतंत्र जीवन जीने की ओर बढ़ना युवाओं हेतु विभिन्न चुनौतियों के साथ—साथ अवसर प्रदान करने वाला बदलाव है क्योंकि वे अनदेखी परिस्थितियों और भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं। यह बदलाव की स्थिति एक संवेदनशील अविध है क्योंकि यदि इस समय युवाओं को आवश्यक समर्थन नहीं मिला तो उनके लिए उपलब्ध अवसर उनसे छूट सकते हैं।

पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को बाल देखरेख संस्था छोड़ने पर उनकी शिक्षा जारी रखने हेतु समर्थन के साथ—साथ, रोजगार योग्य कौशल और प्लेसमेंट, उद्योग शिक्षुता (इनडस्टरी अप्रेन्टसिशप), व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण सहायता व समाज की मुख्यधारा में उनके पुनः एकीकरण तथा उन्हें रहने का स्थान प्रदान करने के प्रावधान है।

पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) हेतु मानदंडः

प्रत्येक युवा संवासी जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जिसे एक बच्चे के रूप में वैकल्पिक देखभाल के किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक रूप में देखरेख और संरक्षण प्रदान किया गया हो (अर्थात, 18 वर्ष से कम आयु के दौरान), वह पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) प्राप्त करने हेतु पात्र है। ऐसी सुविधा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ कानून से सर्घषरत् बच्चों हेतु भी अनुमन्य है। उन्हें निर्धारित तरीके से देखभाल सेवाओं और सुविधाओं के साथ निकट समर्थन और निरंतर दीर्घकालिक देखभाल प्रदान की जाएगी।

पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) की अवधिः

• युवाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर अधिकतम तीन वर्ष (21 वर्ष की आयु तक) के लिए पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) सहायता प्रदान की जाएगी।



 अपवादात्मक परिस्थितियों में उन्हें 23 वर्ष की आयु तक या उनके समाज की मुख्यधारा से जुड़ने तक (जो भी पहले हो) इसे बढ़ाया जा सकता है।

वित्तीय मानदंडः

भोजन, कपड़े, आश्रय, आयु उपयुक्त एवं आवश्यकता आधारित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्टाइपेन्ड व स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श सेवायें, विशेषज्ञ सेवायें, व्यवसायिक खेलकूद प्रशिक्षण सहित किशोरों की किन्हीं अन्य आवश्यकताओं व बुनियादी जरूरतों को पूरा करने हेतु व्यक्तिगत पश्चात देखरेख योजना (आई०ए०पी०) को पूरी तरह से क्रियान्वित करने हेतु बाल देखरेख संस्थाओं / संगठनों / अधिकतम आठ युवाओं के समूह / व्यक्तियों को प्रति किशोर प्रति माह 4,000 / — रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल हासिल करने में मदद करना और उन्हें समाजिक जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम करना होगा।

पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) सुविधाएं और सेवाएं:

पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित चार चरण शामिल होंगेः

- संस्था के बाहर जीवनयापन की तैयारी (युवाओं के संस्थागत/पालक देखरेख के रूप में जितना शीध हो सके अथवा अधिकतम उनके 16 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही यह तैयारी शुरू की जायेगी)।
- समाज में स्वतंत्र रूप से जीवनयापन की तैयारी का आंकलन (17 से 18 वर्ष के बीच)
- पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) में स्थानन (प्लेसमेंट)ः उपरोक्त बिन्दू में 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर शुरू की गई तैयारी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही क्रियान्वित किया जाएगा।
- मुख्यधारा में पुर्नवास, पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) से निकास तथा पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) के उपरांत 2 वर्षों तक फॉलो– अप किया जायेगा।

पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) सहायता और सेवाएं मात्र वित्तीय सहायता तक ही सीमित नहीं होंगी बल्किः

- पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) के बारे में निर्णय लेते समय, उनकी आुयु के सापेक्ष अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, मानसिक आयु, विशेष आवश्यकताओं, अक्षमताओं और उनके व्यक्तिगत कौशल पर भी विचार किया जाएगा।
- सभी युवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और उनके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में निर्णय लेने में उनकी सहायता की जायेगी।



- जिलाधिकारी की देखरेख में पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) प्राप्त करने वाले युवाओं को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर बाल देखरेख संस्थायें तथा जिला बाल संरक्षण इकाई, निम्नलिखित सहायता व दस्तावेज़ प्राप्त/तैयार करने में सहयोग करेंगी:
 - जन्म, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, आधार, पैन, राशन, आयुष्मान, वोटर, बी०पी०एल० या समतुल्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स्, बैंक खाता, पासपोर्ट, गैस कनैक्शन, मोबाइल, सिम कार्ड आदि। यह सभी दस्तावेज उन्हें अपने भविष्य के जीवन हेतु आवश्यक होंगें।
 - निःशुल्क उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार परक कौशल / व्यवसायिक प्रशिक्षण, अपरेंटिस प्रशिक्षण तथा रोजगार समर्थन।
 - परिवार / विस्तारित परिवार के साथ फिर से जोडने के प्रयास, (जहां भी संभव हों)।
 - आवास / आवासीय सुविधा, आवासीय परिसर में कंप्यूटर, इंटरनेट, मनोरंजन सामग्री और अन्य सुविधाएं।
 - स्वतंत्र जीवन कौशल, कौशल विकास, मेन्टरिशप व करियर संबंधी परामर्श तथा सामाजिक समर्थन।
 - स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और सहायता।
 - आवश्यकतानुसार विशेष पेशेवर परामर्श सेवाएं, नशामुक्ति सेवाएं व समूह हस्तक्षेप जिससे उन्हें समाज में मुख्यधारा में लाया जा सके।
- युवाओं के आश्रय समर्थन हेतु अलग—अलग परिसर में देखरेख और संरक्षण की सुविधा होगी।
- छह से आठ युवाओं के समूह हेतु किराये पर आवास सुविधा / अस्थायी आधार पर सामुदायिक सामूहिक आवास की सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
- समुदाय के भीतर पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। इस हेतु जन-प्रतिनिधियों को संवेदित करते हुये उनका सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- उनकी रुचि के आधार पर, उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या नॉन–कॉलेजिएट, किसी भी निरंतर शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश, इच्छाअनुसार अंग्रेजी या किसी तीसरी भाषा का ज्ञान, आदि अर्जित करने को प्रोत्साहन/सहायता।
- कंप्यूटर कौशल, कार्य के सभी क्षेत्रों में एक अभिन्न अंग है। सभी युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा के अवसर प्रदान किये जायेंगें जिससे उन्हें तकनीकी ज्ञान से खुद को समृद्ध करने का अवसर मिले।
- व्यावसायिक प्रशिक्षणः युवाओं को एक उपयुक्त व्यवसाय में शामिल होने या विश्वविद्यालयों / पेशेवर एजेंसियों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०),



पॉलीटेक्निक कॉलेजों और विभिन्न कॉर्पोरेट क्षेत्रों जैसे तकनीकी संस्थानों द्वारा पेश किए गए प्रमाणित कौशल विकास पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की सुविधा, प्रदेश के विभिन्न विभागों, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, भारतीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, जन शिक्षण संस्थान और ऐसे अन्य केंद्र या राज्य सरकार के कार्यक्रमों और कॉर्पोरेट के समन्वय के माध्यम से कौशल विकास और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति की व्यवस्था, जिसमें कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए युवा मामलों या श्रम विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ अभिसरण शामिल है।

- स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल और मानसिक स्वारथ्यः राष्ट्रीय स्वारथ्य मिशन/आयुष्मान भारत के अंतर्गत नियमित स्वारथ्य जांच और लाभ, पेशेवर डॉक्टरों/अस्पतालों के साथ जुड़ाव, जिससे आवश्यकतानुसार युवा स्वयं सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मानसिक स्वारथ्य देखभाल, सहायता और परामर्श सेवाएं भी शामिल होंगी।
- जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस, किशोरी स्वास्थ्य दिवस (हर माह की 8 तारीख), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य केंद्र अर्श क्लीनिक / साथिया केंद्र, साप्ताहिक आयरन फोलिक वितरण, निःशुल्क सेनेटरी नेपिकन, व राशन की सुविधा।
- रोजगार के उपयुक्त अवसर, प्रशिक्षुता तथा उद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवाओं हेतु ऋण और सब्सिडी की व्यवस्था करने हेतु प्रयास।
- सभी युवाओं को आवास, रोजगार, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और उस समय मौजूद ऋण/वित्तीय योजनाओं से संबंधित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में वरीयता प्रदान करने हेतु पैरवी।
- स्वतंत्र, जीवनयापन कौशलः आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र जीवनयापन हेतु जीवन कौशल प्रशिक्षण, जिसमें राज्य या संस्थागत समर्थन के साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहन शामिल है। इसमें, निर्णय लेने, अपने घर और वित्त का प्रबंधन, भविष्य के लिए बचत, समस्या समाधान, लैंगिक शिक्षा, तनाव से निपटने, उपलब्ध सामाजिक, कानूनी और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी तक पहुंच और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के बारे में जानकारी, संघर्ष समाधान पर जानकारी और जागरूकता शामिल होगी।
- पुनर्वास योजनाओं के विषय में विचार—विमर्श करने हेतु युवाओं को नियमित रूप से परामर्शदाता की सुविधा। जीवन में आए संकटों से उबरने हेतु आवश्यक निर्णय लेने, अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता, अलग—अलग बैंक खातों को स्वतंत्र रूप से संचालित करना, कानूनी सहायता व सेवाओं से जोड़ना।
- युवाओं को एक समूह के रूप में एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करने और अपने जनपदों/ब्लॉकों में केयर लीवर्स एसोसिएशन/समूह बनाने और अपनी युवा पीढ़ियों हेतु सहकर्मी सलाहकार बनने के लिए विशेष प्रयास। इस हेतु उनकी क्षमतावृद्धि व प्रशिक्षण।



पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) प्रक्रियाः

- स्थानन (प्लेसमेंट) पूर्व सेवाएं:
- जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल देखरेख संस्था द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) हेतु युवाओं की पहचान और अनुसंशा की कार्यवाही: बाल देखरेख संरथा में 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बच्चे जिनके 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बावजूद अपने भरण—पोषण हेतु राज्य सरकार पर आश्रित होने की क्षणिक भी संभावना हो तो ऐसे सभी बच्चों की पहचान तथा उनकी पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) योजना का विकास।
- देखभाल में रहने वाले बच्चों को स्वतंत्र रूप से जीवनयापन हेतु तैयार करने की प्रक्रिया 16 वर्ष की आयु से ही शुरू की जायेगी। इसमें भविष्य (कैरियर) हेतु मार्गदर्शन और परामर्श, भावनात्मक समर्थन, सलाह समर्थन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रम के बाद पुनर्वासित किए गए युवाओं के साथ बातचीत आदि के माध्यम से बाल देखरेख संस्था में रहने के दौरान बच्चे की तैयारी शामिल है, इससे उन्हें संस्था या गैर—संस्थागत ढांचे के बाहर स्वतंत्र जीवनयापन की तैयारी करने की दिशा में मदद मिलेगी।
- जब बाल देखरेख संस्था में कोई भी बच्चा 16 वर्ष की उम्र पूरी करता है, तो बाल देखरेख संस्था यह आंकलन करेगी कि वह संस्था छोड़ने के बाद समाज में एक स्वतंत्र जीवन में समायोजित हो पाएगा या नहीं। 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए एक मूल्यांकन रिपोर्ट और पुनर्वास योजना तैयार की जाएगी, ताकि उस समय से एक वर्ष के भीतर स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम होने की तैयारी का आंकलन किया जा सके और सभी आंकलन बच्चे के व्यक्तिगत देखरेख (पश्चात) योजना आई०सी०(ए०)पी० का अभिन्न अंग होंगे।
- संस्थागत देखभाल छोड़ने वाले युवा वयस्कों को अपनी स्वयं की पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) की योजना की तैयारी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दस्तावेजों की जांचः संरक्षण अधिकारी (संरथागत और ,गैर संरथागत देखभाल) / परिवीक्षा अधिकारी या बाल देखरेख संरथा, अनुशंसित बच्चों की पात्रता के लिए दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके बाद बच्चों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और अनुमोदन के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी को भेजा जाएगा।
- बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्थानन (प्लेसमेन्ट) आदेशः पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रम में सभी प्लेसमेंट बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के माध्यम से होंगे। इस आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी, जो वास्तविक प्लेसमेंट, धनराशि जारी करने और युवाओं के कल्याण व देखरेख की निगरानी की स्विधा प्रदान करेंगें।



- पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) सुविधा प्रत्येक युवा की प्रगति का प्रबंधन और निगरानी हेतु व्यवस्था निर्धारित करेगी।
- प्रत्येक युवा की व्यक्तिगत पश्चात देखभाल योजना (आई०ए०पी०) होगी जिसकी समीक्षा प्रत्येक छह महीने में संरक्षण अधिकारी (संस्थागत/गैर संस्थागत देखभाल)/परिवीक्षा अधिकारी, बाल देखरेख संस्था द्वारा युवाओं के परामर्श से की जायेगी।
- सभी युवा जो राज्य के किसी भी समर्थन के बिना स्वंय अपना भरण—पोषण करना शुरू करेंगें उनका कम से कम दो वर्षों तक प्रगति और मुख्यधारा में जुड़ने के संदर्भ में फॉलो—अप् (ट्रैक) किया जाएगा।
- पोस्ट प्लेसमेंट सेवाएं: विभाग द्वारा प्लेसमेन्ट के उपरांत नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

निगरानी और समीक्षाः

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जाने वाला दस्तावेजीकरणः

- (1) निम्नवत् पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल युवाओं का मास्टर रजिस्टरः
 - ए) स्थानन की तिथि,
 - बी) लिंग
 - ग) स्थानन के समय आयु
 - डी) माता–पिता की स्थिति
 - ई) बाल देखरेख संस्था में देखभाल पूरा होने की तिथि
- (2) पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) में रखे गए प्रत्येक युवा की व्यक्तिगत फाइलः इसमें निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज होने चाहिएः
 - स्थानन के समय परिकल्पित व्यक्तिगत पश्चात देखभाल योजना
 - बॉल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड का स्थानन आदेश
 - बच्चे और संस्था के भ्रमणों की संख्या
 - युवाओं की शैक्षिक उपलब्धियों, व्यावसायिक प्रशिक्षणों और संरक्षण अधिकारी के प्रत्येक दौरे के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आख्या
 - निगरानी समिति की आख्या
 - देखभाल योजनाओं के अनुपालन की सीमा और गुणवत्ता के संदर्भ में प्लेसमेंट की प्रत्येक समीक्षा के समय किए गए अवलोकन
 - पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) पूरा करने की तिथि और कारण

विभिन्न हितधारकों के सामान्य दायित्वः

• जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना तथा पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर)



- पर अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन के संचालन हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता। राजकीय पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव तथा निगरानी हेतु एम०आई०एस० की व्यवस्था।
- जिला बाल संरक्षण ईकाई, शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यवसायिक व कौशल प्रशिक्षण इत्यादि पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) सुविधा प्रदाताओं की सूची तैयार करेगी तथा सूची को बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल देखरेख संस्थाओं से साझा करेगी।
- प्रत्येक संस्था 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए आई०ए०पी० के साथ अनुमोदित सूची जिला बाल संरक्षण इकाई को अग्रिम रूप से 18 वर्ष के होने से 2 माह पहले प्रेषित करेंगी।
- बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय स्थानन पश्चात योजना की निगरानी करते समय देखरेख कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता की जांच भी विशेषकर इस संदर्भ में करेंगे कि क्या इस कार्यक्रम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए यह देखरेख प्रदान की गई है और ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रम के परिणामस्वरूप युवा द्वारा की गई प्रगति की भी जांच करेंगे।
- बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालय पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) योजना की नियमित रूप से निगरानी करेंगें।
- जिलाधिकारी किशोरों को उनकी शिक्षा जारी रखने हेतु समर्थन के साथ—साथ, रोजगार योग्य कौशल और प्लेसमेंट, उद्योग शिक्षुता, व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण सहायता व छात्रवृतियों को सुगम बनायेंगें। किशोरों को विभिन्न सरकारी व गैरसरकारी योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- जिलाधिकारी युवाओं की निजता व आत्मसम्मान सुनिश्चित करते हुये पुलिस, जिला बाल संरक्षण ईकाई तथा अन्य हितधारकों के माध्यम से युवाओं को प्रदान किये गये संरक्षण व अन्य व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेंगें।



किशोर / किशोरी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें

संलग्नक 2:

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ऑफ्टरकेयर (पश्चातवर्ती देखरेख) हेतु वित्तीय सहायता

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021), की धारा 2(5), धारा 46 और नियमावली के नियम 25 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के दृष्टिगत संस्थागत देखरेख में रहने वाले बच्चों के 18 वर्ष पूरा करने और ऐसी स्थिति में बाल देखरेख संस्था छोड़ने / वर्तमान में पश्चातवर्ती देखरेख में सम्मिलित होने, पर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया से समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता।

आवेदन-पत्र (समस्त संलग्नकों के साथ, स्वयं-सत्यापित व पूर्ण रूप से भरे गये फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे)

1. किशोर/किशोरी का आधार नंबर				
2. किशोर / किशोरी का नाम (हिन्दी में)				
3. किशोर / किशोरी का नाम (अंग्रेजी में)				
(नाम आधार कार्ड / कोई सरकारी फोटो पहचान पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / बाल कल्याण समिति, किशोर				
न्याय बोर्ड या जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल देखरेख संस्था से जारी आदेश / संदर्भ पत्र / विद्यालय				
सर्टिफिकेट – के अनुरूप लिखें।)				
4. जन्मतिथिजन्म का स्थान				
(सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र / बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड या जिला बाल				
संरक्षण इकाई या बाल देखरेख संस्था से जारी आदेश/संर्दभ पत्र/आधार के अनुरूप/विद्यालय				
सर्टीफिकेट – के अनुरूप लिखें।)				
5. माता का नाम (अज्ञात की स्थिति में लागू नहीं)				
6. माता की स्थिति (जीवित या मृतक या विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्त)				
7. मृत्यु की तिथि (मृतक होने की स्थिति में)				
8. पिता का नाम (अज्ञात की स्थिति में लागू नहीं)				
9. पिता की स्थिति (जीवित या मृतक)				
10. मृत्यु की तिथि (मृतक होने की स्थिति में)				
11. वर्तमान संरक्षक का किशोर / किशोरी से सम्बंध (जहाँ लागू हो)				
12. वर्तमान संरक्षक का पूर्ण पता (जिसके संरक्षण में वर्तमान में है –(जहाँ लागू हो))				
y				
13. किशोर / किशोरी का वर्तमान पता				
14. किशोर / किशोरी का स्थायी पता (अज्ञात की स्थिति में लागू नहीं)				
15. किशोर / किशोरी की वार्षिक आय (स्वयं-सत्यापित)				
16. किशोर / किशोरी की आय का स्त्रोत				
17. किशोर / किशोरी के बैंक खाते का विवरणः				
खाताधारक का नामः खाता संख्या				
बैंक का नामबैंक की शाखा व पता				
आई०एफ०एस०सी० कोड				



		हीं (यदि आधार कार्ड नहीं है या बै	
	र सकत ह, परन्तु	यथाशीध्र आधार बनवायें और बैंक खाता से	आधार का लिक
करे)।	गपनात्वर्ती देखोज्य	सहायता प्राप्त की जानी है:	
			/ \
		विस्तारित परिवार के साथ रह रहा है	()
		र से पृथक जीवनयापन कर रहा है, अतः आश्र	0
	न्शारा अनाथ/पारवा आश्रय चाहिये	र से पृथक जीवनयापन कर रहा है, केयरलीव	ते समूह के साथ ()
• किशोर / वि	ज्ञारी बेघर है/सड़व	क (फुटपाथ) पर जीवन यापन करने वाला है	()
• किशोर / वि	ज्ञोरी कानून के साध	य संघर्षरत स्थिति में है	()
• किशोर / वि	ज्योरी को कोई आस	ाध्य रोग है, इलाज हेतू सहायता	()
• किशोर/वि	ज्योरी को उच्च शिक्ष	ा हेत् सहयोग 	()
		गेय कौशल हेतुं सहयोग	()
		भुता (इनडस्टरी अप्रेन्टसशिप) हेतु सहयोग	()
		गुरू करने हेतु सहयोग	()
	ज्योरी की कम आय		()
• समाज की	मुख्यधारा में उनके प	पुनः एकीकरण हेत् अन्य कारणों से सहयोग (स्प	ाष्ट करें)
***************************************			()
की गई अनुदान की मैं अपनी सहमति प्रद	धनराशि राजस्व देय न करता/करती हूँ)		है तो मुझे प्रदान किये जाने हेतु
किशोर / किशोरी का	नाम		
किशोर/किशोरी के व	हस्ताक्षर		
*	जिला बाल स	रक्षण इकाई द्वारा भरे जाने हेतु	
		जॉचकर्ता के हस्ताक्षर	
	,	जॉचकर्ता का नाम व पदनाम	
19. आवेदन के पात्र	ता की रिथतिः	पात्र ()	अपात्र ()
		114 ()	01417 ()
		लाभ शुरू किये जाने का माह व	ਰਬੰ
		हेतु किया गया है (माह/वर्ष में)	
(न्यनतम 1 वर्ष तथ	्यावश्यक्तानसार	23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता	21
		ण का कारण	
		र्ष	



नोटः

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक अभिलेख -

- किशोर/किशोरी का आधार कार्ड/कोई सरकारी फोटो पहचान पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/बाल देखरेख संस्था, बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड से जारी पत्र
- 2. किशोर / किशोरी का स्वंय सत्यापित आय प्रमाण पत्र
- 3. किशोर / किशोरी का आयु प्रमाण पत्र (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 संशोधित, 2021 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण पत्र तथा उसके अभाव में परिवार रिजस्टर की नकल अथवा किशोर / किशोरी का आधार कार्ड अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति / बाल देखरेख संस्था दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।)
- 4. मृत्यू प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
- 5. बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालय का आदेश जिसके द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख सहयता दिये जाने की अनुशंसा की गयी हो।

जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण ईकाई तथा बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय हेतु अन्य आवाश्यक जानकारी

- 1. पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल हासिल करने में मदद करना और उन्हें समाजिक जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम करना होगा।
- 2. परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर या सामाजिक कार्यकर्ता निर्मृतिक पश्चात योजना (पोस्ट रिलीज़ प्लान) तैयार करेगा और उस योजना को बोर्ड या सिमिति को तब भेजेगा जब किशोर या किशोरी या बालक द्वारा बाल देखरेख संस्था छोड़े जाने में दो महीने का समय शेष हो तथा इस योजना में बालक की आवश्यकतानुसार पश्चातवर्ती देखरेख की सिफारिश की जाएगी।
- 3. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति या बाल न्यायालय निर्मुक्ति पश्चात योजना (पोस्ट रिलीज प्लान) की निगरानी करते समय पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता की जांच भी विशेषकर इस संदर्भ में करेंगे कि क्या इस कार्यक्रम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए यह देखरेख प्रदान की गई है और ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के परिणामस्वरूप किशोर या किशोरी या बालक द्वारा की गई प्रगति की भी जांच करेंगे।
- 4. जिला मजिस्ट्रेट, उनकी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृतियों, शिक्षा के लिए ऋण या बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले किशोर/किशोरी के लिए छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण या सिब्सिडी/अनुवृत्ति, स्थानीय कारोबार और उद्योग के सहयोग से कैम्पस प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार परक कौशल/व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा सरकारी स्कीमों या निजी व्यवसायियों के साथ अभिसरण में आवश्यक समर्थन देते हुए सुगम बना सकेगें।
- 5. जिला मजिरट्रेट यह सुनिश्चित करने कि किशोर/किशोरी का हित किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो के लिए पुलिस और अन्य हितधारकों की मदद से इन व्यवस्थाओं पर निगरानी रख सकेगें।
- 6. भोजन, कपड़े, आश्रय, आयु उपयुक्त एवं आवश्यकता आधारित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्टाइपेन्ड व स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श सेवायें, विशेषज्ञ सेवायें, व्यवसायिक खेलकूद प्रशिक्षण सहित किशोर/किशोरी की किन्हीं अन्य आवश्यकताओं व बुनियादी जरूरतों को पूरा करने हेतु व्यक्तिगत



पश्चात देखरेख योजना (आई०ए०पी०) को पूरी तरह से क्रियान्वित करने हेतु बाल देखरेख संस्थाओं/संगठनों/6 से 8 किशोर/किशारियों के समूहों का अस्थायी आधार पर सामुदायिक सामूहिक आवास/किशोर/किशोरी/व्यक्तियों को प्रति किशोर प्रति माह 4,000/— रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

- 7. किशोर/किशोरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर अधिकतम तीन वर्ष (21 वर्ष की आयु तक) के लिए पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) सहायता प्रदान की जाएगी। अपवादात्मक परिस्थितियों में उन्हें 23 वर्ष की आयु तक या उनके समाज की मुख्यधारा से जुड़ने तक (जो भी पहले हो) इसे बढ़ाया जा सकता है।
- 8. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधित 2021), की धारा 2(5), धारा 46 और नियमावली के नियम 25 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के दृष्टिगत संस्थागत देखरेख में रहने वाले बच्चों के 18 वर्ष पूरा करने और ऐसी स्थिति में बाल देखरेख संस्था छोड़ने / वर्तमान में पश्चातवर्ती देखरेख में सम्मिलित हो / 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी किसी बाल गृह में आवासित होने, पर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया से समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- 9. जिला बाल संरक्षण ईकाइ, जिला मजिस्ट्रेट के समर्थन से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त उन्हें उपयुक्त आवास/आवासीय सुविधा, जन्म, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, आधार, पैन, राशन, आयुष्मान, वोटर, बी०पी०एल०, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), या समतुल्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, बैंक खाता, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (टिन) या स्थायी खाता संख्या, पासपोर्ट, गैस कनैक्शन, मोबाइल, सिम कार्ड आदि दस्तावेजों को तैयार कर कैश प्लस सहयोग के रूप में उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगी।
- 10. जिला बाल संरक्षण ईकाइ, जिला मजिस्ट्रेट के समर्थन से मेंटरशिप प्रोग्राम स्थापित करें जो किशोर/किशोरी को मार्गदर्शन, समर्थन और प्रोत्साहन की पेशकश करें। सामुदायिक गतिविधियों, सामाजिक नेटवर्क, और सहायता समूहों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करें। किसी भी कानूनी मुद्दे या चिंताओं को संबोधित करने के लिए कानूनी सहायता और वकालत सेवाएं प्रदान करें।
- 11. जिला बाल संरक्षण ईकाइ, जिला मजिस्ट्रेट के समर्थन से राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, भारतीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय और राज्य सरकारों के ऐसे अन्य कार्यक्रमों तथा कॉरपोरेट इत्यादि के साथ समन्वय से कौशल प्रशिक्षण और वाणिज्यिक स्थापनाओं में रोजगार दिलाने की व्यवस्था करना।
- 12. जिला, बाल संरक्षण ईकाइ, जिला मजिस्ट्रेट के समर्थन से विशेष पेशेवर परामर्श सेवाएं, नशामुक्ति 'सेवाएं व समूह हस्तक्षेप से लिंक करवायेंगें। ऐसे किशोर/किशोरी की उनकी पुनर्वास योजनाओं के विषय में विचार—विमर्श करने के लिए उनके साथ नियमित रूप से संपर्क में रहने वाले परामर्शदाता की व्यवस्था करना।
- 13. जिला बाल संरक्षण इकाई, पश्चातवर्ती देखरेख में रह रहे किशोर / किशोरी के लिए शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जैसे रूचि के क्षेत्र के अनुसार सहयोग प्रदान करने वाले को इच्छुक संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी व रखेगी तथा उस सूची को बोर्ड या समिति और सभी बाल देखरेख संस्थाओं को उनके अभिलेख में रखे जाने के लिए भेजेगी।
- 14. विशेषकर किशारियों को जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस, किशोरी स्वास्थ्य दिवस (हर माह की 8 तारीख), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य केंद्र अर्श क्लीनिक/साथिया केंद्र, साप्ताहिक आयरन फोलिक वितरण, निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन, व राशन की सुविधा से लिंक करेंगे।

